

कार्यालय जनपद पंचायत बस्तर, जिला बस्तर, (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक/६१७/ज०प०/स्था/2026

बस्तर, दिनांक 29 अक्टूबर, 2026

कार्यालय आयुक्त, विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विकास भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/1/566646/2026 वि-7/स्था./ VB-G RAM G नवा रायपुर दिनांक 06-08-2026 एवं छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/ESTB/27800/2026-P&RD नवा रायपुर दिनांक 06/08/2026 तथा पत्र क्रमांक/1/610538/2026 वि-7/स्था./ VB-G RAM G नवा रायपुर दिनांक 01-09-2026 जनपद पंचायतों में रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु **ग्राम पंचायतों के मूल निवासियों से दिनांक 18 नवम्बर, 2026 को 05.30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।** निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

रोजगार सहायक (संविदा) रिक्त ग्राम पंचायतों का विवरण:-

क्रमांक	रिक्त ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	आरक्षित प्रवर्ग
1	रोतमा	बस्तर	अजजा निःशक्त
2	कोलचूर	बस्तर	अनारक्षित (मुक्त)
3	भोण्ड	बस्तर	अजजा (मुक्त)
4	बड़ेचकवा	बस्तर	अपिव (मुक्त)
5	गोंडियापाल	बस्तर	अजजा (मुक्त)
6	बड़ेआमाबाल	बस्तर	अजजा (महिला)
7	कुंगारपाल	बस्तर	अनारक्षित (महिला)

आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय पर जिला/जनपद पंचायतों बस्तर के सूचना पटल पर या www.bastar.gov.in पर देखी जा सकती है।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बस्तर
जिला बस्तर

कार्यालय जनपद पंचायत बस्तर, जिला बस्तर, (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक/416/ज0प0/स्था/2026

बस्तर, दिनांक 29 अक्टूबर, 2026

कार्यालय आयुक्त, विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विकास भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/I/566646/2026 वि-7/स्था./ VB-G RAM G नवा रायपुर दिनांक 06-08-2026 एवं छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/ESTB/27800/2026-P&RD नवा रायपुर दिनांक 06/08/2026 तथा पत्र क्रमांक/I/610538/2026 वि-7/स्था./ VB-G RAM G नवा रायपुर दिनांक 01-09-2026 जनपद पंचायतों में रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु **ग्राम पंचायतों के मूल निवासियों से दिनांक 18 नवम्बर, 2026 को 05.30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।** निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

रोजगार सहायक (संविदा) रिक्त ग्राम पंचायतों का विवरण:-

क्रमांक	रिक्त ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	आरक्षित प्रवर्ग
1	रोतमा	बस्तर	अजजा निःशक्त
2	कोलचूर	बस्तर	अनारक्षित (मुक्त)
3	भोण्ड	बस्तर	अजजा (मुक्त)
4	बड़ेचकवा	बस्तर	अपिव (मुक्त)
5	गोंडियापाल	बस्तर	अजजा (मुक्त)
6	बड़ेआमाबाल	बस्तर	अजजा (महिला)
7	कुंगारपाल	बस्तर	अनारक्षित (महिला)

आयु :-

आयु 01.01.2026 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के लिये छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश इन नियुक्तियों के लिये भी लागू होंगी

शैक्षणिक योग्यता एवं एक मुश्त मासिक वेतन:-

क्र	पदनाम	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता	मेरिट हेतु निर्धारित अंक	एक मुश्त वेतन
			विवरण	अंक
1	रोजगार सहायक	12वीं पास (अजजा एवं अजा हेतु 10वीं पास) एवं संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी। बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिये रोजगार सहायक पद हेतु शैक्षणिक अर्हता का प्राथमिकता क्रम:- (1) 12वीं उत्तीर्ण (2) 10वीं उत्तीर्ण (3) 8वीं उत्तीर्ण	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों का अधिभार शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान मानदेय पर कार्य का अनुभव पर 06 माह के लिये 05 अंक एवं 06 माह से अधिक पर प्रत्येक 06 माह हेतु 01 अंक के आधार पर अधिकतम 15 अंक मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट (पीजीडीसीए/डीसीए/आई.टी.आई.) अथवा पंचायत सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद पर कम से कम छः माह का अनुभव पर	70 15 15
				9960/-

नियम एवं शर्त:-

- उक्त पद हेतु चयनित प्रत्याशी का उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है।
- जिन ग्राम पंचायतों से पात्र अभ्यर्थी के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसके स्थान पर उसी जनपद पंचायत से उसी वर्ग के अभ्यर्थी का मेरिट अनुसार चयन कर नियुक्ति किया जावेगा।
- भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अन्य प्रवर्ग से अभ्यर्थी लिये जा सकेंगे।
- अजा/अजजा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी लिये जायेंगे।
- चूंकि उपरोक्त दर्शित पद मैदानी कार्यालय के लिये हैं, अतः 100 प्रतिशत दिव्यांगता मान्य नहीं होगा। उपरोक्त दिव्यांगता पदों हेतु दर्शित प्रवर्ग के उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में उसी प्रवर्ग से अन्य दिव्यांग को वरीयता के आधार पर पदों की पूर्ति की जावेगी।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
- समस्त प्रमाण-पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
- अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पद कार्य अनुभव ही मान्य किये जायेंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे। अनुभव का लाभ लेने हेतु नियुक्ति आदेश संलग्न किया जाना अनुभव अंक प्रदान के संबंध में कम से कम समान पद समान वेतनमान पर कार्य अनुभव का ही अंक प्रदान किया जावेगा, अन्यथा की स्थिति में अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।

9. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
10. शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।
11. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
12. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उक्त संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
13. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
14. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
15. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
16. पदों की संख्या में परिवर्तनीय है एवं यह नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी एवं पूर्णतः अस्थायी होगी तथा यह नियुक्ति 28 फरवरी 2027 तक के लिये होगी।
17. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
18. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
19. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक- 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
20. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
21. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
22. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
23. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
24. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा। यदि जिला कलेक्टर के निर्णय से असंतुष्टि की स्थिति निर्मित होती है तो आयुक्त VB-G RAM G रायपुर में पुनःरक्षण हेतु अपील प्रस्तुत की जा सकती है।
25. आवेदन पत्र के साथ 9X4" साईज का दो लिफाफे जिसमें प्रत्येक के लिए 22-22 रुपये का डाक टिकट सहित आवेदक का वर्तमान पता लिखा हुआ हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
26. निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरान्त अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति के लिए जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा।
27. उक्त विज्ञापन/नियुक्ति आरक्षण के संबंध में मान0 उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन के अध्याधीन रहेगा, एवं उक्ताशय के संबंध में पारित आदेश नियुक्त उम्मीदवारों पर बंधनकारी रहेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय पर जिला/जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर या www.bastar.gov.in पर देखी जा सकती है।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जनपद पंचायत बस्तर
 जिला बस्तर